New

Registered - Post

प्रेषक

सचिव एवं जन सूचना अधिकारी,
भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी,
जिला शाखा, हिसार।

प्रेषित

डा. सन्दीप कुमार गुप्ता
1722, सैक्टर 14, हिसार,125001
(हरियाणा)

क्रमांक RC/RTI/2020-21/1478 दिनांक 09/2/2021

विषय :– **जन सूचना अधिकारी नियम 2005 के की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्थानांतरित करने बारे।**

सन्दर्भ : आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2020 जोकि उपायुक्त, हिसार के कार्यालय पत्र क्रमांक–20–21/आर0टी0आई0 दिनांक 11.01.2021 के माध्यम से उपरोक्त विषय के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही हेतू प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2021 के तहत बिन्दु संख्या 1 के तहत मांगी गई सूचना बारे आपको अनुरोधपूर्वक अवगत करवाया जाता है कि जिला उपायुक्त भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा का प्रधान होता है तथा इनकी स्वीकृति/आदेशों के उपरांन्त ही भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा का कार्य आरम्भ किया जाता है।

अतः भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ या सरकार के अन्य विभागों से जो भी आदेश / पत्र आगामी कार्यवाही हेतू जिला शाखा को प्राप्त होते हैं उसकी प्रथम उपायुक्त एवं महोदय से ली जाती हैं। तत्पश्चात् किसी कार्य को आरम्भ किया जाता है।

संलग्न :– उपायुक्त महोदय की स्वीकृति तथा पत्राचार की छाया प्रतियां पेज नं० 01 से 07 तक

सचिव

पृ0 क्रमांक RC/RTI/2020-21/1479 दिनांक 09/2/2021

इसकी प्रति नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी, हिसार को उनके पत्र क्रमांक 20–21/आर0टी0आई0 सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव

o/c

(1)

सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हिसार

विषय : **PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE**

उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-183 दिनांक-12/02/2019 के तहत सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से पत्र व्यवहार करके सूचना मांगी गई थी कि ड्राईविंग लाईसैंस नया व नवीनीकरण के लिए प्रोफेशनल प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण की अवधि बारे बताया जाए। इस संदर्भ में उनके कार्यालय पत्र क्रमांक-5804 दिनांक-22/02/2019 **(पताका-क)** के तहत इस जिला शाखा को लिखा है कि Proposal for the Rule For Basic First Aid Training for Driving License के प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय जिला सैंट जॉन शाखा हिसार में एक दिन की बेसिक फर्स्ट प्रशिक्षण देने की अनुमति ली जा सकती है। यह प्रशिक्षण केवल ड्राईविंग लाईसैंस के लिए मान्य होगा तथा यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिक सहायता प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रार्थी को सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

सैंट जॉन एम्बुलैंस जिला शाखा हिसार द्वारा एक दिवसीय बेसिक फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने उपरांत जिला शाखा हिसार द्वारा प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र अपने लेवल पर जारी किया जाए। यह प्रमाण-पत्र केवल ड्राईविंग लाईसैंस से संबंधित ही होगा। इस प्रशिक्षण से संबंधित हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा एक **प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (पताका-ख)** हेतु भेजा गया है, प्रोफार्मा का भी अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि साथ संलग्न है, के अनुसार ही प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त प्रशिक्षण जिला शाखा फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौंल, पानीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर व गुरुग्राम में भी शुरू किया हुआ है। राज्य शाखा द्वारा जारी पत्र **(पताका-ग)** संलग्न है।

अधिकारीगण उचित समझे तो एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण की फीस 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी जिसमें प्रमाण-पत्र की कीमत, प्रवक्ता का मानदेय शामिल होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक-1842-1863 दिनांक-03/07/2019 (पताका-घ) के तहत प्रवक्ता का मानदेय अधिकतम 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति से दिया जा सकता है। यह मानदेय 15/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रस्तावित किया जाता है। हरियाणा राज्य शाखा द्वारा फीस व मानदेय के बारे में और कोई हिदायत जारी होती है तो पुनः उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के लिए रैडक्रास भवन हिसार, उपमण्डल अधिकारी (ना.) नारनौंद व हांसी के लिए सहमति अनुसार हांसी व नारनौंद में तथा उपमण्डल अधिकारी (ना.) बरवाला के लिए बरवाला में संबंधित उपमण्डल अधिकारी से सम्पर्क करके उचित स्थान देखकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Sudha Singh
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

सचिव — स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
Rahul
26/08/19.

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

A. ppd

DTO

Secretary
Indian Red Cross Society

2/18

Rahul
29/08/19.

(2)

THROUGH HUMANITY TO PEACE

OHN AMBULANCE (INDIA)

HARYANA STATE CENTRE

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
THE GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
Dr. Mukesh Aggarwal

State Secretary
D.R. Sharma

Phone : (o) : 0172-2543889, 2546330
Fax : 0172-2546328
(R) : 2747031
www.haryanaredcross.org
e-mail : haryanastateredcross@gmail.com

Receipt No. 578
Date 01/3/19

St. John/Ruling/HR/2018-19/ 5804

Dated 22-02-2019

DTO
Rahul 01/03/19.

Hony. Secretary,
District St. John Centre,
Hisar (HR).

Subject : **PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE.**

1. Reference your office letter No. St. John/2018-19/183 dated 12-02-2019 on the subject cited above.

2. It is intimated that you may obtain permission from the Deputy Commissioner-cum-President, District St. John Centre, Hisar for the One Day Basic First Aid Training for the candidates who want to obtain Driving License only.

3. First Aid professional certificates will not be issued to the candidates of this training by the St. John Ambulance (India), National Headquarters, New Delhi. District St. John Centre, Hisar may issue Basic First Aid training certificates to the candidates for Driving License at their own level with the approval of Deputy Commissioner. A copy of the approval may also be sent to this office.

State Secretary

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
NSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH
परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

All SDMs (c)-cum Registering and
Licensing Authorities
in the State.

Memo No. 17334-94 AT-3/ST-I
Dated: 28-3-17

Subject: First Aid Training for drivers.

Please refer to St. John Ambulance (India) Haryana State letter No. St.John/2016-17/3517 dated 03.02.2017on the subject cited above.

In this regard, it is apprised that first aid training is mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor licence.

for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Endst. No./ 17395 AT-3/ST-I dated: 28-3-17

A Copy of above is forwarded to State Secretary, St. John Ambulance (India) Haryana State Center, Sector-16, Chandigarh for information.

for Transport Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

mail sent
28/3/17
3.30 P.M

Office: 30 Bays Building, 2nd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India)
Phone: 91(0172)-2784359, 2701290, 2700541 Fax: 91(0172)2700514 e-mail: stcharyana@hry.nic.in website: haryanatransport.gov.in
कार्यालय: 30 खण्ड बिल्डिंग, दूसरा तल, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़-160017 (भारत)

JOHN AMBULANCE (India)

HARYANA STATE BRANCH

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
OVERNOR, HARYANA

Vice-President
CHIEF MINISTER,HARYANA

Dr. Mukesh Aggarwal
Vice Chairman

State Secretary
D.R. Sharma

Phone : (o) : 0172-2543889, 2546330
Fax : 0172-2546328
(R) : 2747031
www.haryanaredcross.org
e-mail : haryanastateredcross@gmail.com

(4)

St. John/Ruling/2018-19/ 2015-2036 DTO

Dated 30/5/18

Rahul 06/06/18

Receipt No. 171
Date 6/6/18

All Hony. Secretaries,
District St. John Centres
in Haryana.

Subject: **First Aid training for Drivers and Conductors.**

1. It is to inform you that the office of Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh has informed to all SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authorities in the State vide their office memo No. 17334-94/AT-3/ST-1 dated 28-03-2017 that First Aid training is mandatory for the issuance of the Driver and Conductor License as per the Motor Vehicles Rules, 1989 and 1993 (copy of letter is enclosed)

2. It has been advised to the SDMs (c)-cum-Registering and Licensing Authorities in all districts of Haryana to adhere the Motor Vehicle Rules at the time of issue of Driver and Conductor license.

3. You are also requested to contact with the SDMs(c)-cum-Registering and Licensing Authority of your district to ensure First Aid training to Driver and Conductor before issue of the license.

State Secretary

Encl.: As above

Copy to :

The Transport Commissioner, Haryana, 30 Bays Building, 2nd Floor, Sector-17 B, Chandigarh for information with reference to their office endst. No. 17395/AT-3/ST-I dated 28-03-2017 for information, please.

State Secretary

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

(5)

प्रेषक :

उपायुक्त, हिसार।

प्रेषित :

उपमण्डल अधिकारी (ना.) एवं
वाहन पंजीकरण प्राधिकरण
हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौंद।

क्रमांक 2019-20/155 to 158 दिनांक 09-09-2019

विषय : वाहन लाईसैंस (नया व नवीनीकरण) हेतु प्राथमिक सहायता प्रमाण-पत्र अनिवार्य करना।

उपरोक्त विषय पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ के (संलग्न) पत्र क्रमांक-17334-94/ए.टी.-3/एस.टी.-1 दिनांक-28/03/2017 जोकि आपको प्रेषित है, में अवगत करवाया गया है कि केन्द्रीय वाहन नियम 1989 व हरियाणा वाहन नियम 1993 के प्रावधान अनुसार चालक व परिचालक लाईसैंस जारी करने से पूर्व प्रार्थी के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ ने अपने सन्दर्भित पत्र में चालक व परिचालक लाईसेंस जारी करने के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। रैडक्रास संस्था ने उपरोक्त हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।

अतः **राज्य परिवहन आयुक्त, चण्डीगढ़** के निर्देशानुसार चालक लाईसैंस (नया व नवीनीकरण) जारी करने से पूर्व सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) जिला शाखा हिसार द्वारा जारी एक दिवसीय फर्स्टएड (बेसिक) का प्रमाण-पत्र लेकर लाइसैंस जारी करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- पत्र की छाया प्रति।

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

उपायुक्त, हिसार।
Deputy Commissioner
Hisar
06/09/19

P:/J Data/DTO work/DTO Part-3 819

ST. JOHN AMBULANCE (India)

HARYANA STATE CENTRE

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President
THE GOVERNOR, HARYANA

Vice-President
THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman
Dr. Mukesh Aggarwal

State Secretary
D.R. Sharma
Phone : (o) : 0172-2543889, 2546330
Fax : 0172-2546328
(R) : 2747031
www.haryanaredcross.org
E-mail haryanastateredcross@gmail.com

Receipt No. 335
Date 27/9/19

731/EC/2019-20/ DTO

Dated

All the Deputy Commissioners-cum-Presidents,
District St. John Centres in Haryana

Subject: **Action taken on the minutes of the Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre held on 30th August, 2019.**

It is intimated that Managing Committee meeting of St. John Ambulance (India), Haryana State Centre was held on 30th August, 2019 under the Chairpersonship of Hon'ble Governor-cum-President, St. John Ambulance ((India), Haryana State Centre, Chandigarh. The minutes of the meeting are being sent separately to all the members of the Managing Committee for information and further necessary action. The action on the following point is to be taken by your goodself as per resolution. You are, therefore, requested to take action accordingly on the point mentioned below and action taken report may be sent to this office for compliance and onward submission to Hon'ble Governor-cum-President:-

Item No.	Proposal	:	Resolution
8.	वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण।	:	
	यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिन प्रतिदिन सड़को पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इसी सन्दर्भ में सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य शाखा द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा से अनुरोध किया गया था कि सभी वाहनचालकों के लिए प्राथमिक सहायता को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके एवं घायल व्यक्ति को भी स्वयं को प्राथमिक सहायता देने में निपुणता हो और वह सदमें की हालत में न जाए। इस कार्यालय के अनुरोध पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्डीगढ़ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र कमांक 17334–94 AT-3/ ST-1दिनांक 28.03.2017 से हरियाणा प्रदेश के सभी उप–मडंल अधिकारी (ना0) एवं पंजीकरण एवं लाइसैसिग अधिकारियों को वाहन चालक का लाईसैस जारी करने पर प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था।		राज्य सचिव सैटजॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र ने सदन को अवगत कराया कि एक दिवसीय प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण सभी वाहन चालको के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सदन में विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया तथा यह भी पारित किया गया कि परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा सैट जॉन एम्बूलैंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रो द्वारा प्रदत्त एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) में शामिल करके सैट जॉन एम्बूलेंस (भारत) हरियाणा राज्य केन्द्र को अवगत कराएंगे।

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

Contd...2

11 जिला सैंट जॉन शाखाओं फरीदाबाद, फतेहबाद, गुरुग्राम, नारनौल, पानीपत, रिवाड़ी, झज्जर, कुरुक्षेत्र, मेवात, नारनौल और सिरसा द्वारा ड्राईविंग लाईसैंस बनवाने वाले व्यक्तियों को एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसकोसम्बन्धित जिले के पंजीकरण एवं लाइसैसिग अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया है। कुछ जिलों में सम्बन्धित उप–मडंल अधिकारी (ना0) एवं पंजीकरण एवं लाइसैसिग अधिकारियों ने यह कहा कि वे प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण को वाहन चालकों के लिए तभी अनिवार्य करेगें जब प्राथमिक सहायता को पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रकिया (SOPs) में शामिल किया जाएगा। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्डीगढ़ को पत्र कमांक St.John/Ruling/2018-19/4608 दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा सैंट जॉन एम्बूलैंस हरियाणा एवं जिला केन्द्रो द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र को पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रकिया (SOPs) में शामिल करने बारे अनुरोध किया जा चुका है।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि परिवहन विभाग हरियाणा को सभी वाहन चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के प्रमाण पत्र को राज्य परिवहन के पंजीकरण एवं लाइसैसिग प्राधिकरण के मानक संचालन प्रकिया (SOPs) में शीघ्र अतिशीघ्र शामिल किए जाने का अनुरोध किया जाए तथा चालकों के लिए प्राथमिक सहायता के एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण की फीस निम्नानुसार निर्धारित कर ली जाए:–

1. दो तीन एवं चार पहिया वाहन चालकों के लिए फीस 300 /–रुपए प्रति व्यक्ति।
2. प्रशिक्षण अवधि कम से कम चार तथा अधिकतम छः घण्टें।
3. बेसिक प्राथमिक सहायता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला सैंट जॉन केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा।
4. वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसैंस के नवीनीकरण पर प्राथमिक सहायता का बेसिक प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।

.... सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

Honorarium to the Lay Lecturers has been fixed @ Rs. 15/- per candidate for this one day basic First Aid training. The speciemen of the Certificate for this One Day Basic First Aid Training to be issued by the District St. John Centre is also enclosed.

State Secretary

Copy to :- 3237- 3258 dt 17/09/2019

All Hony. Secretaries, District St. John Centres in Haryana for information and compliance. It should be ensured that number of candiates in a batch should not be more than 30-40. Before issuing certificates, the Lay Lecturer will verify the list of candiates after putting his/her seal and signature upon the list. After then the certificate will be signed by the District Training Officer or Incharge of St. John if the post of DTO is vacant. It should be ensured if any district will breach the terms and conditions, then the Hony. Secretary, District St. John Centre will be fully responsible and answerable the same.

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch - Hisar

State Secretary

प्रेषक

नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

Asstt (5)
Rahul

प्रेषित

1. तहसीलदार हिसार।
2. रैडक्रॉस सोसाइटी, हिसार।

Receipt No. 466
Date 13/1/21

क्रमांक 220-21 / आर0टी0आई0 दिनांक

विषयः– **जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्थानांतरित करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर **श्री संदीप कुमार गुप्ता 1722, सेक्टर 14, हिसार–125001.** का आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2021 इस कार्यालय में 11.01.2021 को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अतंर्गत स्थानांतरित करके अनुरोध सहित लिखा जाता है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है।

अतः वांछित सूचना प्रार्थी को नियमानुसार सीधे ही उपलब्ध करवाकर इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करे। यदि मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो संबंधित को भेजने का कष्ट करें।

सलग्नंः– उपरोक्त

कृतेः नगराधीश एवं राज्य जनसूचना अधिकारी।
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

11/01/21

पृ0 क्रमांक /आर0टी0आई0 दिनांक

इसकी एक प्रति **श्री संदीप कुमार गुप्ता 1722, सेक्टर 14, हिसार–125001.** का आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2021 के सदंर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि आपका आर0टी0आई0 आवेदन पत्र आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा (3) के अंतर्गत **तहसीलदार हिसार, रेडक्रॉस सोसाइटी, हिसार** को स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः आगामी पत्राचार उनसे करने का कष्ट करें।

कृतेः नगराधीश एवं राज्य जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय उपायुक्त, हिसार।

By mail

Gmail

RTI DC Hisar. <spiodchsr@gmail.com>

Electronic filing of RTI application-Attention SPIO O/O Deputy Commissioner, Hisar

sandeep kumar gupta <sandeepguptahsr@gmail.com>
To: spiodchsr@gmail.com

Sun, Jan 10, 2021 at 9:47 PM

Sir,

Please supply the following certified information:

1. Certified copy of the powers vested in the Deputy Commissioner, based on which the enclosed orders (No 2019-20/155-158 dated 09.09.2019) were issued in violation of Motor Vehicle act.

2. Please supply the copy of instructions/rules/directions based on which the amount of Rs 300.00 as intkal fee per property registration is charged in cash in the office of Registrar (Tehsildar), Hisar and not by online mode.

3. Please supply the copy of instructions/rules/directions based on which the amount of Rs 300.00 as photography charges per property registration is charged in cash in the office of Registrar (Tehsildar), Hisar and not by online mode. Please also supply the copy of orders/instructions showing amounts fixed by the competent authority to be charged as photography charges/fee.

The application fee of Rs 10.00 has been deposited in the Government Treasury electronically. The copy of the challan is enclosed as attachment. The intimation regarding additional fee may be sent by this email address. the information be supplied by way of speed post or registered post or registered parcel whichever is cheapest.

Regards,

Dr. Sandeep Kumar Gupta

1722, Sector 14, Hisar-125001, INDIA

Phone: 91-99929-31181

3 attachments

sandeep aadhar card.pdf
30K

CamScanner 09-30-2020 15.24.11-2.pdf
266K

ExportedReport (1).pdf
26K

Valid Upto:	13-01-2021 (Cash) 07-01-2021 (Chq./DD)
GRN No.:	0071010081
Date:	06 Jan 2021 22:19:09
Office Name:	0364-mini sectt hisar
Treasury	Hissar
Period:	(2020-21) One Time

Head of Account	Amount ₹
0070-60-800-86-51 Other Receipts	10
PD AcNo 0	
Deduction Amount: ₹	0
Total/Net Amount: ₹	10
₹ Ten Rupees	

Tenderer's Detail

GPF/PRAN/TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId:-

PAN No:

Tenderer's Name: sandeep gupta

Address: 1722 sector 14 hisar - 125001

Particulars: abc

Cheque-DD-Detail:

Depositor's Signature

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN/Ref No: **IK0AXETQL9**

Payment Date: **06/01/2021**

Bank: SBI Aggregator

Status: Success

Valid Upto:	13-01-2021 (Cash) 07-01-2021 (Chq./DD)
GRN No.:	0071010081
Date:	06 Jan 2021 22:19:09
Office Name:	0364-mini sectt hisar
Treasury:	Hissar
Period:	(2020-21) One Time

Head of Account	Amount ₹
0070-60-800-86-51 Other Receipts	10
PD AcNo 0	
Deduction Amount: ₹	0
Total/Net Amount: ₹	10
₹ Ten only	

Tenderer's Detail

GPF/PRAN/TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId:-

PAN No:

Tenderer's Name: sandeep gupta

Address: 1722 sector 14 hisar - 125001

Particulars: abc

Cheque-DD-Detail:

Depositor's Signature

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN/Ref No: **IK0AXETQL9**

Payment Date: **06/01/2021**

Bank: SBI Aggregator

Status: Success

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

संदीप मार गुप्ता
Sandeep Kumar Gupta
जन्म तिथि/ DOB: 04/04/1976
पुरुष / MALE

पता:
C/O, हाउस न 1722, 14-पीए, हिसार, हिसार, हिसार, हरियाणा - 125001

Address:
C/O, House No 1722, Sector 14-p, Hisar, Hisar, Hisar, Haryana - 125001

8270 4052 3961

8270 4052 3961

आधार-आम आदमी का अधिकार Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Note :->Depositor should approach treasury for judicial stamps etc. after verifying successful/ Account Prep... ...us of this challan at 'Verify Challan' on e-Gras website. This status become available after 24 hrs of dep... ...or clearance of cheque / DD.

प्रेषक :

उपायुक्त, हिसार।

प्रेषित :

उपमण्डल अधिकारी (ना.) एवं
वाहन पंजीकरण प्राधिकरण
हिसार, हांसी, बरवाला नारनौंद।

क्रमांक 2019-20/155601-8 दिनांक 09-09-2019

विषय : **वाहन लाईसैंस (नया व नवीनीकरण) हेतु प्राथमिक सहायता प्रमाण-पत्र अनिवार्य करना।**

उपरोक्त विषय पर परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ के (संलग्न) पत्र क्रमांक-17334-94/ए.टी.-3/एस.टी.-। दिनांक-28/03/2017 जौकि आपको प्रेषित है, में अवगत करवाया गया है कि केन्द्रीय वाहन नियम 1989 व हरियाणा वाहन नियम 1993 के प्रावधान अनुसार चालक व परिचालक लाईसैंस जारी करने से पूर्व प्रार्थी के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ ने अपने सन्दर्भित पत्र में चालक व परिचालक लाईसैंस जारी करने के लिए प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। रेडक्रास संस्था ने उपरोक्त हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।

अतः राज्य परिवहन आयुक्त, चण्डीगढ़ के निर्देशानुसार चालक लाईसैंस (नया व नवीनीकरण) जारी करने से पूर्व सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) जिला शाखा हिसार द्वारा जारी एक दिवसीय फर्स्टएड (बेसिक) का प्रमाण-पत्र लेकर लाइसैंस जारी करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- पत्र की छाया प्रति।

उपायुक्त, हिसार।
Deputy Commissioner
HISAR

Attest

Indian Red Cross Society
HISAR DISTRICT BRANCH

one : 225097

PRESIDENT : *Deputy Commissioner, Hisar*
SECRETARY : *Ravinder Kumar*

RED CROSS BHAWAN
DELHI ROAD, HISAR

No. RC/2018/285-288

Dated..............

Diary No. 3312
Dated 19-6-18
DAC/OLC

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी (ना.)
हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौंद।

विषय : **First Aid training for Drivers and Conductors.**

Ensure that first aid trg has been done before issuing driver/conductor licence

उपरोक्त विषय के संदर्भ में संलग्न पत्र क्रमांक-2015-2036 दिनांक-30/5/2018 सैंट जॉन एम्बुलैंस हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से प्राप्त हुआ है (पताका-क)। पत्र अनुसार मोटर व्हीकल रूल 1989 और 1993 के तहत ड्राइवर व कण्डक्टर का लाईसैंस जारी करने से पहले फर्स्टएड ट्रैनिंग का प्रमाण-पत्र जरूरी है। इस संदर्भ में पत्र क्रमांक-17334-94 दिनांक-28/3/2017 परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ से जारी हुआ है, जो सभी उपमण्डल अधिकारी (ना.) कम रजिस्ट्रेशन एण्ड लाईसैंस अथोरिटी को प्रेषित है (पताका-ख), के अनुसार **First training is mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor Licence.** आदेश पारित हुए है।

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेशानुसार सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ एवं परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र की फोटोप्रति आगामी कार्यवाही हेतु साथ संलग्न है।

संलग्न - उपरोक्त की फोटोप्रति। तीन पृष्ठ

सचिव

क्रमांक ....

दिनांक ....

इसकी एक प्रति सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक-2015-2036 दिनांक-30/5/2018 के तहत सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव

F/J Data/DTO work/DTO Part-3 617

THROUGH HUMANITY TO PEACE

Indian Red Cross Society

(CONSTITUTED UNDER INDIAN PARLIAMENT ACT XV OF 1920)

DISTRICT BRANCH HISAR (HARYANA)

PRESIDENT : Deputy Commissioner, Hisar
SECRETARY : Ravinder Kumar

Phone No. : 01662-225097
Website : redcrossharyana.org

RED CROSS BHAWAN
DELHI ROAD, HISAR-125001
Email : ircs.hissar@gmail.com

No. RC/ 2018-19/857-136   867   Dated 12/6/19

DC 2-19

DLC/CLC

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी (ना.)
हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौंद।

विषय : **First Aid training for Drivers and Conductors.**

संदर्भ : **पत्र क्रमांक-285-288 दिनांक-18/06/2018 के निरंतर में।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में संलग्न पत्र क्रमांक-2015-2036 दिनांक-30/5/2018 सैंट जॉन एम्बुलैंस हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से प्राप्त हुआ है (पताका-क)। पत्र अनुसार मोटर व्हीकल रूल 1989 और 1993 के तहत ड्राईवर व कण्डक्टर का लाईसैंस जारी करने से पहले फर्स्टएड ट्रैनिंग का प्रमाण-पत्र जरूरी है। इस संदर्भ में पत्र क्रमांक-17334-94 दिनांक-28/3/2017 परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ से जारी हुआ है, जो सभी उपमण्डल अधिकारी (ना.) कम रजिस्ट्रेशन एण्ड लाईसैंस अथोरिटी को प्रेषित है (पताका-ख), के अनुसार **First training is mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor Licence.** आदेश पारित हुए है।

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेशानुसार सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ एवं परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र की फोटोप्रति आगामी कार्यवाही हेतु उपरोक्त पत्र के साथ भिजवा दी गई थी।

सचिव

क्रमांक ....   दिनांक ....

इसकी एक प्रति सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक-2015-2036 दिनांक-30/5/2018 के तहत सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव

F:/J.Data/DTO work/DTO Part-3 739